परिशिष्ट-1

72

कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in Phone No. (07423) 226605

वनमण्डलाधिकारी की प्रोजेक्ट के संबंध में अनुशंसा

वनमण्डल नीमच अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, नीमच द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् गंगाबावड़ी जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त जलाशय योजना में नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र मनासा अंतर्गत आरक्षित वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रमांक 287,290,293,295 ,रकबा 43.149 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित हैं। नीमच वनमण्डल का वनक्षेत्र उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (ईको वेल्यू–III) के अंतर्गत आता हैं। उपरोक्त प्रस्तावित 43.149 हेक्टेयर वनभूमि में VA गुण श्रेणी का वन हैं। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि पर मिश्रित प्रजाति का वन होकर गुरजन, तेन्दु, कदम, धावड़ा, साजा, महुआ, बरगद, सिरस, आम, नीम, अमलताश, बहेड़ा, पलाश, पीपल, चिरोल,रींझा, सेमल, बीजा, कुल्लू, खैर, करधई, गुलर आदि प्रजाति के वृक्ष मुख्यतः पाये जाते हैं। क्षेत्र में तेन्दुआ ,लकड़बग्घा, सियार, जंगली सुअर, नीलगाय, लंगूर ,गोयरा, नेवला, खरगोश, मोर, मगरमच्छ, गिद्ध, अजगर आदि प्रजाति के वन्यप्राणी पाये जाते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि पर 0.5 से 0.6 घनत्व का वन हैं।

उपरोक्त परियोजना से स्थानीय व्यक्तियों, पशुओं एवं वन्यप्राणियों को पानी की आपूर्ति होने के साथ ही क्षेत्र में जल स्तर में सुधार होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रभावित होने वाली 43.149 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग की नियमानुसार अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की जाती हैं।

(एस.के.अटौदे)
I.F.S.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच